

बैंकों की पूंजी, चलनिधि तथा लाभप्रदता के लिए बासेल III के निहितार्थ*

बी. महापात्र

यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि 'राष्ट्रीय-बैंक-प्रबंधन-संस्थान' (एनआईबीएम) पुणे में आज और कल "उभरते बृहद् पर्यावरण विनियामक परिवर्तनों तथा बैंक प्रतियोगितात्मकता" पर एक दो-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मैं एनआईबीएम का आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे 'बैंकों की पूंजी चलनिधि तथा लाभप्रदता के लिए बासेल III के निहितार्थ' नामक विषय पर बोलने का सौभाग्य प्रदान किया है यह विषय बहुत सामायिक है, न केवल वित्तीय जगत में, बल्कि सरकारी नीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी। इस विषय पर बोलने की मेरी प्रेरणा इसलिए भी है क्योंकि मेरा कार्य एक बैंक विनियामक का है और भारत में बैंकों के लिए बासेल III के कार्यान्वयन तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ।

परिप्रेक्ष्य

2. पहले मैं बासेल III के लिए परिप्रेक्ष्य निर्धारित करता हूँ। बासेल III वैश्वीय वित्तीय संकट के कारणों और परिणामों पर एक विनियामक प्रतिक्रिया है। तो फिर संकट के कारण और परिणाम क्या थे?

वैश्वीय वित्तीय संकट के कारण

3. बृहद् आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस संकट का कारण "वैश्विक-असंतुलन-निरंतरता" को बताया गया है। अक्सर यह कहा जाता है कि पिछले संकट का समाधान ही अगले संकट का कारण बन जाता है। आपको स्मरण होगा कि पिछला संकट 1997-98 का एशियाई संकट था और इससे, एशियाई देशों ने जो सबक सीखे उनमें से एक महत्वपूर्ण सबक यह था कि देश की मुद्रा पर होने वाले हमले से बचने के लिए विदेशी मुद्रा भंडारों का एक 'युद्ध चेस्ट' बनाया जाए। इसलिए एशिया और खास तौर पर चीन और कुछ अन्य उभरती

* मार्च 3-4, 2012 को पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित उभरते बृहत् पर्यावरण विनियामक परिवर्तन तथा बैंक प्रतियोगितात्मकता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 3 मार्च 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री बी. महापात्र द्वारा दिया गया भाषण। राजेन्द्रकुमार तथा श्री रजनीश कुमार द्वारा दिए गए योगदान के लिए आभार प्रकट किया जाता है।

अर्थव्यवस्थाओं ने सस्ती दरों पर चीजों का उत्पादन किया और निर्यात-मुख विकास की नीति का अनुसरण किया और भारी विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठे कर लिए। इसी के उपसिद्धांत के रूप में, अमरीका और यूरोप ने, इस उत्पादन का उपभोग किया तथा निवल आयातक बन गए। एशियाई तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इकट्ठे किए गए विदेशी मुद्रा भंडार अवश्यतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ही निवेशित किए जाने थे जिनके काफी गहरे बाजार हैं।

4. उभरती अर्थव्यवस्थाओं से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जो भारी पूंजी आई, उसने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय बाजारों में आय को कम कर दिया। निवेश पर प्रतिफल में सुधार के लिए 'आय की खोज में' बाजार के खिलाड़ियों ने, वित्तीय नवोन्मेष तथा इंजीनियरिंग का सहारा लिया। उन्होंने सब-प्राइम-बंध समर्थित-प्रतिभूतियों-(एमबीएस), संपाश्वीकृत कर्ज बाध्यताओं (सीडीओ), तथा सीडीओ स्क्वेयर्ड आदि पर आधारित प्रतिभूतीकरण तथा पुनःप्रतिभूतीकरण जैसे संरचित वित्तीय उत्पादों का विकास किया। सिंथेटिक संरचनाएं निर्मित करने के लिए क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स (सीडीएस) का भी प्रयोग किया गया जिससे उनकी अ-चलनिधि तथा जटिलता बढ़ी। इनसे होने वाले अंतर्निहित जोखिमों को भूलकर प्रतिभूतीकरण दिन दुगुना रात चौगुना होता गया जिसके परिणामस्वरूप सब-प्राइम ऋण वितरण तेजी से बढ़ा और इसके इतने भयंकर परिणाम निकले।

5. इसका एक अन्य कारण अमरीका के सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक तत्त्वों को भी बताया गया। डॉ. रघुराम राजन ने अपनी पुस्तक 'फाल्ट लाइन्स' में उल्लेख किया है कि आम अमरीकी की आय, काफी समय से स्थिर थी और निर्धनता तथा असमानता बढ़ रही थी। राजनीतिज्ञ लोगों की आय में तो सुधार ला नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने लोगों को उस समय प्रचलित कम ब्याज दरों पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर घर का सपना पूरा करने के लिए उकसाया और तत्संबंधी नीतियां बनीं। इसी से जन्म हुआ जहरीले उत्पाद, 'सब प्राइम मॉर्टगेंज' का। यह कहा गया कि यदि गरीब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो 'उन्हें क्रेडिट खाना

चाहिए'।

6. सूक्ष्म स्तर पर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कारोबारी मॉडलों ने भी संकट की आग में घी का काम किया। 'सब-प्राइम मोर्टगेंजों' के 'ऑरिजिनेट - टू-डिस्ट्रिब्यूट' मॉडल ने, बैंकों के लिए कोई प्रोत्साहन निर्मित नहीं किया कि वे ऐसे बंधकों (मॉर्टगेंज) का बेहतर अप्रेजल और पर्यवेक्षण करें। थोक निधीयन बाजारों पर उनके भरोसे ने चलनिधि जोखिम प्रबंधन में खाइयां बना दी। अल्पावधि निधियों का प्रयोग, दीर्घावधि परिसंपत्तियां निर्मित करने के लिए किया गया। अधिक मात्रा में सस्ती निधियों की उपलब्धता ने बैंकों को उच्चतर रूप में लीवरेजित होने के लिए, उकसाया और वह भी अल्पावधि निधियां उधार लेकर।

7. संकट की एक और वजह नाकाफी कार्पोरेट गवर्नेंस तथा वित्तीय क्षेत्र में अनुपयुक्त एवं दोषपूर्ण प्रोत्साहन प्रणाली को भी बताया गया। संकट के समय कार्पोरेट गवर्नेंस में कई कमजोरियां थीं। कार्पोरेट गवर्नेंस बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति को रोकने में कामयाब नहीं हुई। अध्ययनों ने दिखाया है कि अधिकतर जोखिम प्रबंधन प्रणालियां, कमजोर कार्पोरेट गवर्नेंस के कारण फेल हुईं न कि प्रयुक्त किए गए अंकगणितीय मॉडलों की अपर्याप्तता के कारण। कुछ मामलों में तो बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन भी एक सूचनाप्रद और प्रतिक्रियाशील जोखिम मापन और प्रबंधन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्थापित करने में असफल रहे। कई मामलों में सांस्थानिक व्यवस्थाओं ने स्वतंत्र जोखिम प्रबंधकों और नियंत्रण कार्मिकों की लागत पर जोखिम लेने वालों को अधिक महत्त्व और दर्जा दिया जहां कार्यनीति स्थापित थी वहाँ भी बोर्डों ने कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए उपयुक्त माप पद्धतियां स्थापित नहीं की।

8. वैश्विक संकट के संदर्भ में जो बहुत से मुद्दे उभरकर सामने आए हैं उनमें वित्तीय क्षेत्र में कार्यपालकों के वेतन और कंपेनसेशन निधियों पर संभवतः लोगों ने सबसे अधिक प्रतिक्रिया की है। इसकी व्यापक आलोचना हुई है कि प्रोत्साहन तथा वेतन पैकेज अनुपयुक्त रूप से निर्धारित किया गए हैं। अनुत्तरदायित्व पूर्ण जोखिम लेने के लिए बढ़ावा दिया गया, ये पैकेज कंपनी के पूंजी आधार से मेल नहीं खाते थे और अल्पावधि लाभ को अधिकतम करने पर केन्द्रित थे। वरिष्ठ कार्यपालकों को दिए जाने वाले वेतन, काफी अधिक पाए गए और उनका संबंधित संस्थाओं के दीर्घावधि कार्यनिष्पादन से कोई तालमेल नहीं पाया गया। सबसे बड़ा उदाहरण ऐसी असफल कंपनियों के कार्यपालकों को लाखों डॉलर की भुगतान और बोनस की अदायगी थी, जिन्होंने कि पब्लिक फंडिंग प्राप्त की थी। अब यह

काफी हद तक स्वीकार किया जा रहा है कि उन्नत देशों में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले वेतनों की संरचना में जो त्रुटिपूर्ण प्रोत्साहन ढांचा था उसी ने इस संकट की आग में घी डाला।

9. बैंक इस संकट में अपर्याप्त पूंजी के साथ प्रवेश हुए। साझी इक्विटी की बासेल अपेक्षाएं जोखिमभारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) की मात्रा 2 प्रतिशत थी। बैंकों ने जोखिम आधारित पूंजी की सही तरह से गणना नहीं की। बासेल पूंजी नियमों में ट्रेडिंग बुक के लिए कम पूंजी तथा बैंकिंग बुक के लिए अधिक पूंजी को अधिमानता दी गई है। बैंकों ने इस खामी का लाभ लिया और अपनी बैंकिंग बुक परिसंपत्तियों को ट्रेडिंग बुक में रख दिया जिससे कैपिटल आर्बिट्रेज हुई। इसी प्रकार मॉर्टगेंज ऋणों की पूंजी आवश्यकताएं मॉर्टगेंज समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) की पूंजी आवश्यकताओं से अधिक थी। इस से बैंकों को अपने द्वारा स्थापित "विशेष-निवेश-वाहन" (एसआईवी) के जरिए अपने बंधक ऋणों को, सिक्यूरिटाइज करने की प्रेरणा मिली। बैंकों ने स्वयं अपने एसआईवी को चलनिधि सहायता की पेशकश की जिन्होंने कि बंधक ऋणों का प्रतिभूतीकरण किया और ऐसी लिखतों की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाया। बढ़ी हुई रेटिंग को कम पूंजी की जरूरत होती है। बैंकों ने ऐसे कम पूंजी वाले उत्पादों में निवेश किया। इस प्रकार बैंकिंग बुक परिसंपत्तियों को ट्रेडिंग बुक में रखने में एक "अगम्यगमन" संबंध था जिसके लिए अपनी रेटिंग बढ़ाने और पूंजी आवश्यकताएं कम करने के लिए चलनिधि सहायता बैंकों द्वारा दी गई।

10. संकट के पूर्व 'शैडो बैंकिंग' प्रणाली, का विकास भी अभूतपूर्व था। एक अनुमान के अनुसार शैडो बैंकिंग प्रणाली औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से लगभग तीन गुणा गई थी। इसने तथा थोक निधीयन बाजार पर इसकी निर्भरता ने, संकट को और बढ़ा दिया।

11. अभूतपूर्व नवोन्मेष तथा इंजीनियरिंग के समर्थन से, वित्तीय क्षेत्र, वास्तविक अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत बड़ा हो गया परंतु विनियामक और पर्यवेक्षकीय प्रणाली उतनी ही बनी रही। विनियामक और पर्यवेक्षक, प्रणाली में आ रहे जोखिम को नहीं देख पाए। उन्होंने स्वतंत्र बाजारों पर भरोसा किया और सोचा कि बाजार में 'अति' होगी तो, सेल्फ करैक्शन भी हो जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। 'हवा के सामने झुकना' अनुपयुक्त माना गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी अपनी भूमिका ठीक तरह से नहीं निभाई और अपनी स्थिति खराब कर ली।

12. हर बैंकिंग संकट में कुछ साझे तत्त्व होते हैं। परंतु हर बार विशेषज्ञ यही कहते हैं कि 'इस बार यह अलग है'। तो फिर इस बार

क्या अलग था? संभवतः शैडो बैंकिंग प्रणाली का जरूरत से ज्यादा विकास, जो कि अधिकांशतः विनियामक परिधि से बाहर था और साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की थोक निधीयन बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता, यही इस संकट के कुछ 'भिन्न' तत्त्व थे।

13. दार्शनिक दृष्टि से लें तो संकट ने लोगों का भरोसा तोड़ा, बैंकों पर, वित्तीय प्रणाली पर, रेटिंग एजेंसियों पर, निवेश सलाहकारों पर और राजनीतिज्ञों पर। भरोसा जिसे बनने में समय लगता है, और जो वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्त्व होता है क्योंकि वित्तीय संविदाओं की प्रकृति ही ऐसी है कि उसे उच्चस्तर के भरोसे की जरूरत होती है। संकट के समय इस संबंध में कई सवाल मन में उठते हैं। क्या वित्तीय प्रणाली की समूची शृंखला में खिलाड़ियों का व्यवहार उचित और आचार सम्मत था? अथवा जल्दी लाभ कमाने और मोटे बोनस प्राप्त करने के लिए लालच पर आधारित था? क्यों बैंकों और निवेश सलाहकारों ने अपने ग्राहकों को, जो जटिल वित्तीय उत्पाद बेचे, उनके जोखिमों के बारे में क्या उन्हें बताया? और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का क्या? क्या उन्होंने अपना मानदंडों से समझौता किया?

14. इस संकट ने नेतृत्व की भूमिका के बारे में भी एक दिलचस्प और साथ ही आत्ममंथन करने वाली चर्चा छोड़ दी है, जो नेता इस कार्य से जुड़े थे शायद उन्होंने ही हमें नीचा दिखाया, वे आधुनिक वित्तीय इंजीनियरिंग और 'ग्रेट मॉडरेशन' से इतने प्रभावित हुए कि अतार्किक उत्तेजना में बह गए और आस्तीन के साँप को नहीं देख पाए।

वैश्वीय वित्तीय संकट के परिणाम

15. संकट के परिणाम सबके सामने हैं। जो बात "सब-प्राइम बंधक ऋणों" तथा उन पर आधारित "प्रतिभूतीकृत उत्पादों" से शुरू हुई थी वह "अनकदी-चक्र" में पहुंच गई और जल्द ही वित्तीय क्षेत्र के लिए शोधक्षम (सोल्वेंसी) का मुद्दा बन गई। वित्तीय प्रणाली में बैंकों के बीच अंतर्जुड़ाव से यह एक प्रणालीगत संकट बन गया। बैंकों में नकदी का अभाव हो गया। उन्होंने डिलिवरेज करना शुरू कर दिया और संपत्ति क्षेत्र को ऋण देना बंद कर दिया इस प्रकार वित्तीय संकट पूरी तरह आर्थिक संकट बन गया क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था के आवश्यक अंग हैं और उनकी असफलता संपदा क्षेत्र पर असर डालती है, खासतौर पर जब वे बहुत बड़े हों तब सरकारी अधिकारियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प न ही बचता कि वे बैंकों में पूंजी डाल कर उन्हें बचाएं, उनकी देयताओं के लिए गारंटी दें, और उनकी संदूषित परिसंपत्तियों को खरीदें। इससे चारित्रिक खतरे का मुद्दा बना अर्थात् "लाभों का निजीकरण, मगर हानियों का सामाजिकीकरण"।

16. तथापि, बचाव कार्यक्रम का एक अनाशयित मगर दिलचस्प पहलू यह रहा है कि बैंकों के गैर-इक्विटी पूंजी के प्रदात। बचकर साफ निकल गए, क्योंकि उन्हें केवल बैंकों के परिसमापन की स्थिति में ही हानियां झेलनी पड़तीं, अन्यथा नहीं।

17. सरकारी खजाने को संकट से कितना भार उठाना पड़ा, इसके कई अनुमान लगाए गए हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं को संकट के दौरान दी गई सहायता राशि जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत थी। जी-20 देशों के लिए, पूंजी इन्जेक्शन तथा परिसंपत्ति खरी। 653 बिलियन अमरीकी डॉलर अर्थात् जीडीपी का 2.1 प्रतिशत था। जी-210 देशों को सीधी सहायता की बजटीय लागत औसतन जीडीपी की 2.8 प्रतिशत थी जो यूके के लिए 6.1 प्रतिशत थी। जर्मनी के लिए 4.8 प्रतिशत तथा अमरीका के लिए 3.6 प्रतिशत थी। 2008-15 के दौरान इन देशों का सरकारी कर्ज, जीडीपी का 40 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इन देशों की संचयी उत्पादन हानि, उनकी जीडीपी की लगभग एक चौथाई होने का अनुमान है।

बासेल II में वृद्धि या बासेल II.5 की शुरुआत

18. संकट के उपरांत वित्तीय विनियामक प्रणाली को मजबूत करने के वैश्विक प्रयास, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के तत्त्वधान के अंतर्गत, जी-20 के राजनैतिक नेतृत्व द्वारा चालित हैं। संकट के तत्काल बाद बासेल कमेटी जुलाई 2009 में कुछ उपाय लेकर आई जिन्हें बासेल II को ऊपर उठाना अथवा बासेल II. 5 भी कहा जाता है। इन उपायों का उद्देश्य इनके पूंजी नियमों के लूपहोल्स को बंद करना था। जिसका लाभ बैंकों ने अपनी कुछ बैंकिंग-बुक-पोजीशनज को ट्रेडिंग बुक में पार्क करने के लिए उठाया, जिसमें कि कम पूंजी चाहिए थी।

19. पिलर 1 के अंतर्गत इन उपायों में आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) के अंतर्गत ट्रेडिंग बुक में, विशिष्ट जोखिम अथवा क्रेडिट जोखिम के लिए "वृद्धिशील जोखिम प्रभार" (आइआरसी) लगाने की शुरुआत करना शामिल था। वाणिज्यिक रियल एस्टेट के प्रतिभूतिकरण के लिए पूंजी प्रभार को बढ़ाया गया और पुनर्प्रतिभूतिकरण के लिए शुरू किया गया। आइएमए के अंतर्गत बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार के लिए, जोखिम मूल्य आधारित उपाय को एक स्ट्रैस्ट्रड जोखिम मूल्य तत्त्व" शामिल करके बढ़ाया गया है। ट्रेडिंग बुक के लिए समग्र पूंजीगत अपेक्षा, लगभग 3 दगुना बढ़ जाने की आशा है। कंपनियों के लिए जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी करके, प्रतिष्ठा जोखिम तथा चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करके, मूल्यांकन विधियों में सुधार लाकर तथा मजबूत-स्ट्रैस-

टेस्टिंग-विधियों को कार्यान्वित करके पिलर 2 को मजबूत किया गया है। पिलर 1 तथा 2 में वृद्धियों (एनहैन्समेंट) के पूरक के रूप में, उपयुक्त अतिरिक्त प्रकटनों की भी शुरुआत की गई है।

बासेल III

20. बासेल समिति ने दिसंबर 2000 में अपने बासेल III नियमों को प्रकाशित किया। मैं बासेल III की प्रमुख विशेषताओं पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। संकट से सीख लेते हुए बासेल III का उद्देश्य इतने बड़े संकट को फिर से होने से रोकने की संभावनाओं को न्यूनतम करना है। इसके लिए सुरक्षा के पहले कदम के रूप में, बासेल III ने, प्रत्येक बैंक की आघात सहने की क्षमता में सुधार लाने का लक्ष्य रखा है और यदि एक या कुछ बैंकों का फेल होना अनिवार्य हो जाए, तो भी बासेल III के पास ये सुनिश्चित करने के उपाय हैं कि समूची बैंकिंग प्रणाली न ढहे तथा संपदा अर्थव्यवस्था पर इसका परिणामकारी प्रभाव न्यूनतम रहे तथा बासेल III में कुछ बृहद् विवेकाधीन तत्त्व रहेंगे ताकि जोखिम प्रत्येक संस्था के भीतर ही रहे, तथा साथ ही एक बृहद् विवेकाधीन आवरण भी होगा, जो कि प्रणाली के जोखिम से जुड़े मुद्दों का ध्यान रखने के लिए 'तूफान के आगे झुक भी जाएगा'।

बासेल III के सूक्ष्म विवेकाधीन तत्त्व

21. बासेल III के सूक्ष्म विवेकाधीन तत्त्व हैं (i) पूंजी की परिभाषा; (ii) पूंजी के जोखिम कवरेज में वृद्धि (iii) लीवरेज अनुपात तथा (iv) अंतरराष्ट्रीय चलनिधि ढांचा।

पूंजी की परिभाषा

22. वर्तमान नियमों में यह अपेक्षा है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का 8 प्रतिशत होना चाहिए। नियमों में अनुमति है कि स्तर एक की पूंजी जो.भा.परि. का न्यूनतम 4 प्रतिशत हो सकती है तथा स्तर दो की पूंजी जिसमें न्यूनतम पांच वर्षों की मध्यावधि परिपक्वता के कर्ज लिखत आते हैं उसके लिए जो.भा.परि. की अधिकतम 4 प्रतिशत हो सकती है। न्यूनतम दो वर्षों की अल्प परिपक्वता के साथ, स्तर तीन की पूंजी कुछ हद तक स्तर दो की पूंजी को भी समर्थन दे सकती है। स्तर एक पूंजी की साझी इक्विटी जो.भा.परि. के 2 प्रतिशत तक हो सकती है। पूंजी लिखतों में "स्टैप-अप विकल्प" जैसे नवोन्मेषी फीचर्स की अनुमति दी गई है। पूंजी के साथ विनियामक समायोजन, स्तर एक तथा स्तर दो की पूंजी, दोनों के लिए, समान रूप से किए जा सकते हैं।

23. इस प्रकार पूंजी की वर्तमान परिभाषा को बदल दिया गया है। पूंजी केवल इक्विटी पूंजी की गुणवत्ता में ही कमी वाली नहीं रही बल्कि

इसमें कर्ज के तत्त्व भी शामिल हैं, जो कि बैंक को एक प्रचलित निकाय के रूप में समर्थित नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा बड़े बैंकों ने इस संकट में पूंजी के अपर्याप्त स्तर और गुणवत्ता के साथ प्रवेश किया। बासेल III के अंतर्गत स्तर एक की पूंजी विनियामक पूंजी का प्रमुख स्वरूप होगा। यह वर्तमान के 4 प्रतिशत अर्थात् कुल पूंजी के 50 प्रतिशत की तुलना में 8 प्रतिशत की कुल पूंजी का न्यूनतम 75 प्रतिशत होगी अर्थात् 6 प्रतिशत। यह स्तर एक पूंजी के भीतर, साझी इक्विटी पूंजी का प्रमुख स्वरूप होगी। यह स्तर एक पूंजी की 6 प्रतिशत की अपेक्षा का न्यूनतम 75 प्रतिशत होगी अर्थात् 4.5 प्रतिशत, जबकि वर्तमान स्तर 2 प्रतिशत का है। आप देख सकते हैं कि कुल पूंजी (स्तर I तथा स्तर II) में, स्तर I पूंजी हिस्सा तथा स्तर I पूंजी में साझा इक्विटी के 'प्रमुख' हिस्से का अर्थ। अर्थात् बासेल I तथा II के अंतर्गत 50 प्रतिशत अब बासेल III के अंतर्गत बदल कर 75 प्रतिशत हो गया है जिससे बैंकों में उच्च गुण वाली पूंजी के समग्र स्तर में सुधार हुआ है।

24. मेरे हिसाब से इस संबंध में बासेल III की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह सुनिश्चित करना है कि गैर-साध्य, मगर अभी भी कार्यरत बैंकों के, सरकारी क्षेत्र द्वारा बचाव में यह शुमार नहीं है कि करदाता तो हानियाँ सहें और गैर-साझी इक्विटी पूंजी प्रदाता बचकर निकल जाएं। अतः बासेल III के अंतर्गत, बैंकों द्वारा जारी सभी गैर-साझे स्तर I तथा स्तर II की लिखतों में यह प्रावधान होगा जिसमें अपेक्षा की गई होगी कि ऐसी सभी लिखतें संबंधित अधिकारी की इच्छा पर या तो बट्टे खाते डाले जाएं या फिर बैंक प्राधिकारी द्वारा यह माने जाने पर कि बैंक ने गैर साध्यता के लिए एप्रोच किया है या कर रहा है, इसे साझी इक्विटी में परिवर्तित कर दिया जाय।

25. इसके अतिरिक्त, गैर-इक्विटी पूंजी इन्स्ट्रमेंट्स में अब नवोन्मेषी विशेषताओं को स्वीकार्य नहीं किया जाता। स्तर III की पूंजी को भी अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पूंजी से की जाने वाली विनियामक कटौतियाँ अथवा समायोजन, जो स्तर 1 की पूंजी के लिए 50 प्रतिशत तथा स्तर 2 पूंजी के लिए 50 प्रतिशत हैं, अब साझी इक्विटी स्तर I पूंजी के लिए 100 प्रतिशत होंगे। बाजार अनुशासन में सुधार लाने के लिए पूंजी के सभी तत्त्वों का प्रकटन किया जाना होगा तथा रिपोर्ट किए गए खातों के साथ विस्तृत समाधान (रिकंसीलिएशन) प्रस्तुत किया जाना होगा। ये अपेक्षाएं सभी क्षेत्राधिकारों में समान रूप से कार्यान्वित की जानी होंगी और इसके प्रयोग की निरंतरता को बासेल कमेटी द्वारा पीआर समीक्षा प्रक्रिया के जरिये सुनिश्चित किया जाएगा।

26. इस प्रकार गुणवत्ता, मात्रा निरंतरता तथा पारदर्शिता के संदर्भ में पूंजी की परिभाषा में बासेल III के अंतर्गत सुधार आएगा।

पूंजी का जोखिम कवरेज बढ़ाना

27. काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन और पूंजीकरण में पाई गई महत्वपूर्ण खामियों को देखते हुए, बैंकों के ओटीसी व्युत्पन्न, रेपो तथा प्रतिभूति-वित्तपोषण गतिविधियों से जनित काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजर्स के लिए, पूंजीगत जरूरतों को मजबूत करने के लिए, बासेल III के अंतर्गत उपाय शुरू किए गए हैं। ये सुधार इन एक्सपोजर्स के समक्ष कैपिटल सेट को बढ़ा, पूर्वचक्रिकता को घटाएंगे। तथा ओटीसी व्युत्पन्न संविदाओं को, सेंट्रल काउंटर पार्टियों की ओर ले जाने के लिए, अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेंगे जिससे वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम को घटाने में मदद मिलेगी। ये काउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजर्स के जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने हेतु प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं।

28. इसके अतिरिक्त बैंकों को 'स्ट्रैस्ड-इनपुट्स' का प्रयोग करके काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए अपनी पूंजीगत जरूरतों का निर्धारण भी अवश्य करना चाहिए। इससे कम्प्रेस्ड बाजार उतार-चढ़ावों की अवधियों के दौरान, पूंजी प्रभार कम हो जाने संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और पूर्वचक्रिकता का समाधान भी निकलेगा। बैंकों पर ऋण मूल्यांकन समायोजन (सीबीए) पूंजी प्रभार भी लगेगा ताकि वे स्वयं को काउंटरपार्टी की साख गिरने से जुड़ी "प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य" से होने वाली हानियों से स्वयं की सुरक्षा कर सकें। सीबीए-काउंटरपार्टी की साख में आई गिरावट की वजह से व्युत्पन्न पूंजीकरण के उचित मूल्य में आए हास का एक उपाय है। संपाश्विक प्रबंधन और प्रारंभिक मार्जिनिंग के मानकों को भी मजबूत किया गया है। जिन बैंकों ने काउंटरपार्टियों को बड़े और अनकदी व्युत्पन्न एक्सपोजर्स दिए हैं, उन्हें विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु आधार बनने के लिए अधिक लंबी मार्जिनिंग अवधियों को लागू करना पड़ेगा। समर्थक जोखिम प्रबंधन रीतियों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मानक अपनाने होंगे।

29. इस प्रकार बासेल III ढांचे में बढ़ा हुआ जोखिम कवरेज होगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बैंकों ने व्युत्पन्न उत्पादों के लिए अत्यधिक एक्सपोजर्स किए जिनके जोखिम बासेल I अथवा बासेल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत व्यापक रूप से कवर नहीं किए गए थे।

लीवरेज अनुपात

30. संकट से पूर्व कुछ अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों का लीवरेज, पूंजी के लगभग 50 गुना ऊंचा था। हालांकि ऐसे बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा का पालन भी किया था। लीवरेज के जोखिम ने खासतौर पर तब, जब अल्पावधि उधारों के निर्माण और संपदा क्षेत्र की ओर ऋण जाने से जनित दबाव की अवधियों के दौरान डीलीवरेजिंग का परिणाम का ही प्रभाव हुआ, संकट को और बढ़ाया। अतः बासेल कमेटी ने जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के पूरक 'बैंक स्टाप' उपाय के रूप में, एक सरल, पारदर्शी, गैर जोखिम आधारित अनुपात की शुरुआत की है। इस लीवरेज अनुपात में सूक्ष्म विवेकाधीन, तथा बृहत् विवेकाधीन, दोनों प्रकार के उपाय हैं। सूक्ष्म स्तर पर यह जोखिम आधारित पूंजी अनुपात के पूरक के रूप में अत्यधिक जोखिम को सीमित रखने का प्रयोजन पूरा करता है। जोखिम आधारित पूंजी अनुपात कम जोखिम परिसंपत्तियां होने के कारण, अत्यधिक लीवरेज के जोखिम को नहीं पकड़ता। एक सरल लेखाकरण उपाय के रूप में लीवरेज अनुपात उसे पकड़ लेगा। बासेल कमेटी ने शुरू में पिलर 2 के उपाय के रूप में न्यूनतम 3 प्रतिशत (33.33 गुणा) के स्तर I लीवरेज अनुपात की टेस्टिंग प्रस्तावित की है, जिससे कि अंततः पिलर 1 की जरूरत बना दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय चलनिधि ढांचा

31. सामान्यतः वित्तीय बाजारों तथा विशेषतः बैंकों के कार्यों में, चलनिधि का स्थान केन्द्रीय होने के बावजूद, चलनिधि विनियमन पर अभी हाल तक कोई समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में कोई अंतरराष्ट्रीय रूप से सहमत तथा सुमेलित चलनिधि मानक भी नहीं थे। गत दो दशकों में बैंकिंग के विनियमन अधिकांशतः बासेल I तथा बासेल II पूंजी नियमनों के गिर्द ही घूम रहे थे। न ही अत्यधिक परिपक्वता बेमेलता को सीमित करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मानक मौजूद थे जिसके परिणामस्वरूप दीर्घ दिनांकित परिसंपत्तियों को काफी अधिक अनुपात में अल्पावधि उधारों से वित्त पोषित किया गया। वित्तीय संकट ने बैंकों द्वारा मजबूत चलनिधि जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया। संकट के दौरान यह देखा गया कि जिन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी आधार था उन्होंने भी थोक निधीयन बाजारों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता की वजह से, विवेकहीन चलनिधि प्रबंधन रीतियों की वजह से, कठिनाई का सामना किया। संकट ने प्रदर्शित कर दिया कि चलनिधि तथा शोध क्षमता काफी गहराई तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अ-नकदी बैंकों को, दीवालिया बनने में देर नहीं लगती, और इसी प्रकार दीवालिया बैंक बड़ी तेजी से अ-नकदी हो सकता है।

32. नकदी आघातों से बैंकों को सुगम्यता (रेजीलिएन्स) में सुधार लाने के लिए बासेल III ने दो नए नकदी मानदंड शुरू किए हैं। अल्पावधि में बैंकों को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) द्वारा मापित अत्यधिक नकदी प्रतिभूतियों का सुरक्षित भंडार बनाकर रखना होगा। इस चलनिधि भंडार का आशय, 30 दिनों तक संभावित चलनिधि गड़बड़ियों के प्रति रेजीलिएन्स को प्रोत्साहित करना है। यह, यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि यदि किसी वैश्विक बैंक के 30 दिनों के अल्पावधि दबाव परिदृश्य में निवल नकद बहिर्प्रवाहों को सामना करना पड़ जाए, तो, उसके पास उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त अबंधित उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि परिसंपत्तियां उपलब्ध हैं। इस परिदृश्य में ये स्थितियां शामिल हो सकती हैं किसी संस्था की पब्लिक क्रेडिट रेटिंग काफी हद तक गिर जाना, जमाराशियों में आंशिक हानि, अरक्षित थोक निधीयन में हानि, सुरक्षित निधीयन हेयरकट्स में महत्वपूर्ण वृद्धि, और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संपाशिवकॉल्लेज में वृद्धि तथा संविदागत, गैर-संविदागत तुलन पत्रेतर एक्सपोजर्स में काफी मात्रा में कॉल्लेज जिसमें वायदित क्रेडिट तथा चलनिधि सुविधाएं भी शामिल हैं।

33. अन्य चलनिधि जोखिम उपाय 'निवल-स्थिर-निधीयन अनुपात' (एनएसएफआर) में किसी बैंक में, निधीयन के स्थिर स्रोतों की एक न्यूनतम राशि की अपेक्षा की गई है, जो कि परिसंपत्ति की चलनिधि प्रोफाइल से संगत हो, तथा साथ ही एक वर्ष की अवधि में तुलनपत्रेतर प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक चलनिधि जरूरतों के लिए सक्षमता हो। एनएसएफआर का उद्देश्य बाजार की तेज चलनिधि के समय अल्पावधि थोक निधीयन पर अति निर्भरता को सीमित करना तथा सभी तुलन पत्रीय एवं गैर-तुलनपत्रीय मदों पर चलनिधि जोखिम के बेहतर आकलन को प्रोत्साहित करना। एनएसएफआर का उद्देश्य बैंकों को चालू आधार पर अपनी गतिविधियों को निधीयन के अधिक स्थिर स्रोतों से निधिदत्त करने के लिए अधिक प्रोत्साहन देकर अधिक समय तक रेजीलिएन्स (सुनम्यता) को प्रोत्साहित करना।

बासेल III के बृहत् विवेकाधीन तत्त्व

34. बासेल II.5 के अंतर्गत ट्रेडिंग बुक के लिए पूंजी और पूंजी अपेक्षाओं को बढ़ाने संबंधी परिभाषाओं में किए गए परिवर्तनों, जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, से, बैंकों की सामूहिक सुनम्यता (रेजिलिएन्स) बढ़ेगी तथा यह प्रणालीगत जोखिम को कम करने में योगदान देगी। तथापि, विकट परिस्थितियों में अकेली यह भी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त होगी। अतः वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट बृहद्-विवेकाधीन तत्त्वों

की जरूरत होगी। बासेल III प्रणालीगत जोखिम से संबंधित मुद्दों को जिन विभिन्न उपायों से हल करना चाहता है वे हैं (i) लीवरेज अनुपात (ii) पूंजी संरक्षण सुरक्षित भंडार (iii) प्रतिचक्रिक पूंजी बफर (iv) प्रावधानन संबंधी अपेक्षाओं की प्रतिचक्रिकता का हल निकालना, (v) अंतर्जुड़ाव का समाधान (vi) इतना बड़ा कि असफल नहीं हो सकता की समस्या का समाधान तथा (vii) बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों पर भरोसे की समस्या।

लीवरेज अनुपात

35. बासेल III के अंतर्गत लीवरेज अनुपात के बृहद् विवेकाधीन तत्त्व का उद्देश्य है - लीवरेज के प्रणालीगत निर्माण के खिलाफ सुरक्षा, जिसके कारण दबाव के दौरान अनवाइंडिंग प्रक्रिया अस्थिर होती है। यह 'कम जोखिम' परिसंपत्तियों का ढेर लगाने के गलत प्रोत्साहन के प्रति भी सुरक्षा देता है, जो कि 'अति' परिस्थितियों में वैसी नहीं रह पाएंगी और जिसकी वजह से प्रणालीगत जोखिम पैदा होगा।

पूंजी संरक्षण सुरक्षित भंडार

36. इस संकट से सीख लेते हुए कि बैंक दबाव की अवधि के दौरान भी, अपनी आय बांट रहे थे, बासेल III में यह निर्धारित किया गया है कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 2.5 प्रतिशत का पूंजी संरक्षण सुरक्षित भंडार, दबाव की अवधियों के अलावा भी निर्मित करने की जरूरत है जो 4.5 प्रतिशत की न्यूनतम साझी इक्विटी जरूरत तथा 8 प्रतिशत की कुल पूंजी रिकवायरमेंट की सीमा से अधिक साझा इक्विटी स्तर I पूंजी से बना हो। इसे नीचे भी लाया जा सकता है क्योंकि हानियां दबाव की अवधियों के दौरान ही होती हैं। जब सुरक्षित भंडार नीचे आ जाएं तो बैंक उन्हें या तो लाभांश वितरण को कम करके, शेयरों की पुनर्खरीद में कमी करके, स्टाफ के बोनस भुगतानों को कम करके, या फिर प्राइवेट क्षेत्र से पूंजी जुटाकर, पुनः बढ़ा सकते हैं।

प्रतिचक्रिक पूंजी सुरक्षित भंडार (बफर)

37. प्रतिचक्रिक पूंजी सुरक्षित भंडार का उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि, बैंकिंग क्षेत्र, उस बृहत् वित्तीय वातावरण को भी ध्यान में रखें, जिसमें कि बैंक परिचालन पर करते हैं। राष्ट्रीय अथॉरिटीज क्रेडिट वृद्धि तथा अन्य संकेतकों निगरानी रखेंगी जिससे प्रणाली में जोखिम बनने का संकेत मिलेगा और जब स्थितियों के लिए जरूरी होगा तब वे 'प्रतिचक्रिक पूंजी सुरक्षित भंडार' निर्मित करने की शर्त लागू कर देंगी। यह शर्त प्रणाली में जोखिम कम होने पर वापस ले ली जाएगी। यह बफर पूंजी संरक्षण सुरक्षित भंडार के एक्सटेन्शन के जरिए कार्यान्वित किया जायगा और प्रणाली में जोखिम निर्माण की

मात्रा के आधार पर आरडब्ल्यूए (जोखिम भारित परिसंपत्तियों) के शून्य से 2.5 प्रतिशत के बीच रहेगा। बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे इस बफर को साझी इक्विटी स्तर I पूंजी अथवा अन्य 'पूर्णतः' हानि अवशोषक पूंजी के जरिए पूरा करेंगे। जिन अवधियों में प्रतिचक्रिक पूंजी बफर लागू है, यदि उनमें पूंजी स्तर (पूंजी संरक्षण सुरक्षित भंडार तथा प्रति चक्रिक बफर मिलाकर) अपेक्षित स्तरों से नीचे गिरता है तो, बैंकों के वितरणों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी प्रतिचक्रिक बफर अपेक्षाएं कम से कम उसी फ्रीक्वेंसी से आगणित और सार्वजनिक रूप से प्रकट की जाती हैं, जितनी कि उनकी न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं।

प्रावधानन अपेक्षाओं की पूर्वचक्रिकता (प्रोसाइक्लि-कैलिटी) का हल निकालना

38. वित्तीय संस्थाएं "कारोबारी चक्र-प्रवण" होती हैं।, अच्छे वक्तों में बैंक के उधारकर्ता सब अच्छा करते हैं, और बैंकों का कर्ज उतार देते हैं। बुरे वक्तों में वे ब्याज और मूलधन की अदायगी में चूक करते हैं। बैंकों के लाभ गिर जाते हैं मगर साथ ही उन्हें गैर निष्पादक ऋणों के लिए उच्चतर ऋण हानि प्रावधान भी करना अपेक्षित होता है। पूर्वचक्रिकता संबंधी मुद्दों का हल निकालने के लिए बासेल समिति, "हुई हानि दृष्टिकोण" की वर्तमान प्रथा की बजाय, ऋण हानि प्रावधानन के लिए "अपेक्षित हानि दृष्टिकोण" अपनाए के बारे में अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानदंड बोर्ड (आइएएसबी) के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

अंतर जुड़ाव की समस्या का निदान

39. बैंकों, खासकर बड़े बैंकों के बीच अंतर्जुड़ाव की समस्या को कई उपायों द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है जैसे वैश्विक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआइबीज) के लिए, और अधिक बढ़ा हुआ विनियामक ढांचा, 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की परिसंपत्तियों वाली बड़ी वित्तीय संस्थाओं तथा अविनियमित संस्थाओं को किए गए एक्सपोजर्स के लिए आंतरिक रेटिंगज आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत उच्चतर परिसंपत्ति मूल्य समवाय (कोरिलेशन) निर्धारण।

'इतना-बड़ा-कि-फेल-नहीं-हो सकता' की समस्या का समाधान

40. संकेतक आधारित मापन दृष्टिकोण द्वारा दिए गए स्कोर के आधार पर बासेल समिति, जीएसआइबीज को, प्रणालीगत महत्व के अनुसार विभिन्न वर्गों में समूहित करेगी। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण इन वैश्विक बैंकों (प्रमवैबैंकों) (जीएसआइबी) को उनके प्रणालीगत महत्व के लिए दिए गए स्कोर के आधार पर प्रारंभतः चार बकेट्स

(वर्गों) में बांटा जाएगा और विभिन्न वर्गों पर विभिन्न स्तरों की "अतिरिक्त-हानि-अवशोषण-संबंधी-अपेक्षाएं" लागू की जाएंगी। विभिन्न अनुभवजन्य विश्लेषणों से निकाली गई नीतिगत जजमेंट के आधार पर, बासेल कमेटी ने निर्धारित किया है कि, सबसे अधिक संख्या वाले वर्ग के लिए, अतिरिक्त हानि अवशोषण की मात्रा, सभी समयों पर जोखिम भारित परिसंपत्तियों की 2.5 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि प्रारंभिक रूप से खाली शीर्ष वर्ग (पांचवां वर्ग) की मात्रा "जो. भा. परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए)" की 3.5 प्रतिशत होनी चाहिए। सबसे छोटे वर्ग की अतिरिक्त हानि शोषण की मात्रा जो.भा. परिसंपत्तियों की 1.00 प्रतिशत होनी चाहिए। अतिरिक्त हानि अवशोषण की मात्रा, को बासेल III फ्रेमवर्क द्वारा यथा परिभाषित "साझी इक्विटी स्तर 1 पूंजी" द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। प्रमवैबैंक कड़े पर्यवेक्षण के भी अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त अल्पावधि थोक निधीयन पर अत्यधिक भरोसों को कम करने के लिए "चलनिधि मानदंड" भी शुरू किए गए हैं।

बाह्य क्रेडिट रेटिंग्स पर भरोसे की समस्या का समाधान

41. बासेल II फ्रेमवर्क की बाह्य रेटिंग पर भरोसे को घटाने के लिए जो उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, वे हैं: बैंक बाहर से रेटिड प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर्स का स्वयं अपने आंतरिक स्तर पर भी आकलन करे, ऋण जोखिम न्यूनीकरण विधियों से जुड़े कुछ "क्लिफ इफेक्ट्स" (प्रयोजन जोखिम भारों में तेज वृद्धि) को समाप्त करना / निकालना; पूंजी फ्रेम वर्क में बाहरी रेटिंग के प्रयोग के लिए प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओएससीओ)की 'क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए मूलभूत आचार संहिता' के प्रमुख तत्वों को कमेटी के पात्रता मानदंडों में शामिल करना।

संक्रति-काल तथा चरण-प्रवेश

42. बड़े पैमाने पर किए गए सुधारों तथा उनके प्रभाव के दृष्टिगत बासेल III की शुरुआत होगी और 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2019 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। जो पूंजी लिखतें, गैर-कोर स्तर I पूंजी अथवा स्तर II पूंजी के लिए, अर्हक नहीं पाई जाएंगी, उन्हें 2013 से शुरू होकर 10 वर्ष की अवधि में फेज-आउट कर दिया जाएगा। चलनिधि अनुपातों तथा लीवरेज अनुपात का अंतिम कैलिब्रेशन, आगे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन तथा ऑब्जर्वेशन के बाद किया जाएगा।

बासेल III का बृहद आर्थिक प्रभाव

43. यह मानते हुए कि बैंक बासेल III के अंतर्गत बड़ी हुई पूंजी जरूरतों को बाजार से जुटाने में समर्थ हो जाएंगे तो फिर भी प्रश्न यह

उठता है कि आर्थिक वृद्धि और बैंकों की लाभप्रदता पर इसका क्या असर होगा। सामान्यतः तो इक्विटी पूंजी जरूरत में वृद्धि से पूंजी की भारित औसत लागत में वृद्धि होगी। अंशतः तो बैंक पूंजी की लागत में वृद्धि को, उच्चतर ऋण वितरण दरों के रूप में उधारकर्ताओं पर डाल देंगे। इस तरह इसके परिणामस्वरूप इक्विलिब्रियम ऋण वितरण दरें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी तथा पिछले कुछ वर्षों में ऋण वृद्धि थोड़ी कम हो जाएगी।

44. तथापि, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितनी? और साथ में जब बासेल III के पूर्ण कार्यान्वयन हो जाने पर स्थिर अवस्था आ जाएगी तो क्या लागत नीचे आ जाएगी? इन प्रश्नों के कुछ जवाब में, ऑफिशियल सेक्टर, जिनमें बासेल कमेटी शामिल है तथा गैर अधिकारिक अथवा प्राइवेट सेक्टर संस्थाओं द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर देने का प्रयास करूंगा।

45. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने इस रीति से नए विनियम लागू करने, जो वैश्विक आर्थिक बहाली के समनुरूप हों, उच्चतर पूंजी और चलनिधि अपेक्षाओं में, ट्रांजिशन के बृहदार्थिक प्रभाव के आकलन हेतु अध्ययन करवाएं बासेल कमेटी तथा एफएसबी द्वारा स्थापित बृहदार्थिक आकलन ग्रुप (एमएजी) ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक साझी इक्विटी पूंजी अनुपात को, ऐसे स्तर तक लाने, जो सहमत न्यूनतम तथा पूंजी संरक्षण बफर को पूरा कर सके, उससे बासेल III कार्यान्वयन अवधि के अंत तक बासेलाइन पूर्वानुमानों के संगत, जीडीपी में अधिकतम 0.22 प्रतिशत की गिरावट आएगी। उच्चतर पूंजी के प्रति, प्रतिशत बिंदु, अनुमानित अधिकतम जीडीपी प्रभाव, 0.17 प्रतिशत था।

46. इसके अतिरिक्त बासेल कमेटी के अधिक मजबूत पूंजी और चलनिधि अपेक्षाओं पर दीर्घावधि आर्थिक प्रभाव (एलईआइ) के संबंध में किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बैंकिंग संकटों की घटती संभावना तथा उसके परिणाम स्वरूप होनेवाली वृद्धि संबंधी हानियों के संदर्भ में होने वाले निवल लाभ सकारात्मक बने रहे।

47. प्राइवेट क्षेत्र की एक संस्था अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आइआइएफ) का अनुमान है कि जीडीपी का स्तर 3.2 प्रतिशत नीचे हो गया जो कि अन्यथा यह पांच वर्ष बाद होता (अर्थात् बेसलाइन परिदृश्य से संगत) और उत्पादन हानि 0.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। यह एमएजी के 0.03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उत्पादन हानि के अनुमान से कई गुना अधिक है। इतने अधिक अंतर की वजह विभिन्न मान्यताओं और नमूनों को बताया गया है।

भारतीय बैंकों पर बासेल III का प्रभाव

48. सामान्यतः दूसरे देशों की भाँति ही, बासेल III के अंतर्गत की गई उच्चतर पूंजी और सख्त चलनिधि अपेक्षाओं से भारतीय बैंकों में पूंजी संबंधी जरूरतों बढ़ेगी तथापि वास्तविक असर भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होगा जिसके कई कारण हैं: बासेल III के अंतर्गत प्रभावित एक्सपोजर्स की राशि की विद्यमान पूंजी संरचना, अर्थात् गैर साझे इक्विटी पूंजी तत्त्वों पर भरोसे की सीमा, विनियामक समायोजनों से संबंधित वर्तमान नियम, अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अनुभव की जा रही वृद्धि तथा जीडीपी अनुपात को दिया गया विद्यमान ऋण (क्रेडिट)। बैंकों की लाभप्रदता पर इन अपेक्षाओं का असर, बैंकों की पूंजी संरचना पर ऋण वितरण दरों की संवेदनशीलता तथा ऋण वितरण दरों पर क्रेडिट वृद्धि की संवेदनशीलता के आधार पर होगा।

पूंजी

49. बासेल III के अंतर्गत, ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर्स, खासकर जिनमें क्रेडिट जोखिम है तथा जिनके बैंकिंग और ट्रेडिंग बुक, दोनों में पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर्स हैं, उन पर बढ़ा हुआ पूंजी प्रभार लगेगा। ओटीसी व्युत्पन्नों की सीवीए भी अतिरिक्त पूंजी आकर्षित करेगी। चूंकि भारतीय बैंकों के ट्रेडिंग बुक तथा ओटीसी व्युत्पन्न पोर्टफोलिओज बहुत छोटे हैं और उनके पुनर्प्रतिभूतिकृत लिखतों में कई एक्सपोजर्स नहीं हैं, अतः उनके तुलन पत्रों पर, पूंजी विनियम में इन परिवर्तनों का प्रभाव नगण्य है।

50. भारतीय बैंकों का औसत स्तर I पूंजी अनुपात लगभग 10 प्रतिशत है और जिसकी 85 प्रतिशत से अधिक साझी इक्विटी बनती है। विनियामक समायोजन उपलब्ध इक्विटी पूंजी को केवल सीमांत रूप से ही घटाएंगे, जिसके कई कारण हैं। पहला, गुडविल, आस्थगित कर परिसंपत्तियों (डीटीए) जैसी मदें, भारतीय बैंकों की स्तर I पूंजी से पहले ही घटाई जा चुकी हैं। दूसरे, ऐसी कई मदें जिनकी कटौती की जानी है जैसे - बंधन सर्विसिंग अधिकतम खजाना स्टॉक्स, देयताओं की सही वैल्युएशन से होने वाला लाभ जो अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान हैं, भारत में हैं ही नहीं। तीसरे, बैंकिंग वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में, पूंजी तथा अन्य निवेशों की पारस्परिक प्रति धारिता महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वर्तमान विनियामक सीमाओं की वजह से ये निवेश प्रतिबंधित हैं। इसलिए भारतीय बैंकों के पास, बासेल III के अंतर्गत भी “उच्च-साझी-इक्विटी-पूंजी-अनुपात” होगा जिससे उनकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि आधे से अधिक भारतीय बैंकों में आज भी साझी

इक्विटी अनुपात 8 प्रतिशत से अधिक है और वे बिना प्रवेशचरण (फेज-इन) के भी बासेल III कार्यान्वित कर सकते हैं।

51. भारत के जीडीपी अनुपात को बैंक क्रेडिट लगभग 55 प्रतिशत है जो कि अन्य कई देशों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। तथापि गत प्रवृत्ति बदलाती है कि भविष्य में इसके बढ़ने की आशा है क्योंकि अर्थव्यवस्था की गहराई दिनों दिन बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी अगले दस वर्षों तक, 8-9 प्रतिशत वार्षिक दर की गति से बढ़ने की आशा है। इससे निस्संदेह, बैंक-पूंजी में काफी वृद्धि की जरूरत पड़ेगी। तथापि, हम यह भी जानते हैं कि, गत 5 वर्षों से कई भारतीय बैंक, असल में 7-8 प्रतिशत इक्विटी पूंजी अनुपात पर परिचालन कर रहे हैं जबकि अर्थव्यवस्था औसतन लगभग 8 प्रतिशत दर से बढ़ती रही थी। इससे हमें यह देखकर सुखदता मिलती है कि न केवल बैंक, बासेल III के अंतर्गत अपेक्षित उच्चतर इक्विटी पूंजी स्तरों पर परिचालन करने में समर्थ हैं बल्कि भारतीय पूंजी बाजार में भी यह क्षमता है कि वह बैंकों को अपेक्षित इक्विटी पूंजी प्रदान कर सके।

52. भारत सरकार ने क्रमिक रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपनी शेयरधारिता घटा दी है और कई बैंकों में तो सरकार की शेयरधारिता केवल 51 प्रतिशत के आसपास ही है। इसका अर्थ है कि भविष्य में भारत सरकार बैंकों की अतिरिक्त इक्विटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैचिंग योगदान देगी, जबकि पहले इसने अतिरिक्त इक्विटी जरूरतों के अधिकतर हिस्से की पूर्ति, बाजार से करने की अनुमति दी थी जिससे इसकी शेयरधारिता 100 प्रतिशत से घटकर 51 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार, पूंजी बाजार से इक्विटी की मांग उस सीमा तक घट जाएगी परंतु पूंजी सहायता के लिए सरकारी बैंकों की भारत सरकार पर निर्भरता बढ़ जाएगी।

चलनिधि - एसएलआर तथा एलसीआर से जुड़े मुद्दे

53. भारत में बैंकों को सांविधिक रूप से, उच्च गुणवत्तावाली तरल संपत्तियों के न्यूनतम भंडार रखने की जरूरत होती है। इस समय ऐसी प्रारक्षित निधियां (सांविधिक चलनिधि अनुपात-एसएलआर) निवल मांग और समय देयताओं को न्यूनतम 24 प्रतिशत बनाए रखने की अपेक्षा है। चूंकि ये प्रारक्षित निधियां, न्यूनतम सांविधिक अपेक्षाओं का हिस्सा हैं, अतः रिजर्व बैंक दुविधा में है कि, इन रिजर्व्स की क्या और कितनी राशि, एलसीआर के प्रति गिनती करने की अनुमति दी जाय। यदि इन प्रारक्षित निधियों की गिनती एलसीआर के लिए नहीं की जाती है और बैंकों को समूची एलसीआर अतिरिक्त तरल संपत्तियों से पूरी करनी पड़ती है, तो, इससे बैंकों की कुल परिसंपत्तियों में, नकदी

परिसंपत्तियों का अनुपात काफी हद तक बढ़ जाएगा जिससे कि उनकी आय में काफी गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि बासेल III के अंतर्गत चलने की जरूरतों के लिए, किस सीमा तक एसएलआर अपेक्षाओं को गिना जा सकता है।

लाभप्रदता

54. अध्ययनों ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से बासेल III अपेक्षाओं का, लाभ-प्रदता पर काफी असर पड़ेगा। मेकिनसी एंड कंपनी द्वारा किए गए एक ऐसे अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यदि अन्य सभी चीजें समान हों तो, बासेल III, यूरोप में, औसत बैंक के लिए इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) लगभग 4 प्रतिशतता बिंदु तथा अमरीका में लगभग 3 प्रतिशतता बिंदु घटा देगा। खुदरा, कार्पोरेट तथा निवेश बैंकिंग घटक भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रभावित होंगे। खुदरा बैंक सबसे कम प्रभावित होंगे तथापि बहुत कम पूंजी अनुपातों वाली संस्थाएं खुद को काफी दबाव में पाएंगी; कार्पोरेट बैंक मुख्यतः विशेषीकृत ऋण वितरण तथा व्यापारिक वित्त में प्रभावित होंगे। निवेश बैंकों के कई कोर कारोबार, काफी हद तक प्रभावित होंगे। खासतौर पर ट्रेडिंग तथा प्रतिभूतिकरण कारोबार। नए पर्यावरण में बैंक पहले से ही इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) का प्रबंधन, तुलनपत्र की स्ट्रक्चरिंग तथा कारोबारी मॉडल समायोजनों द्वारा करने की सोच रहे हैं। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि तुलनपत्र पुनर्संरचना तथा कारोबारी मॉडलों के समायोजन, औसत रूप से, बासेल III के इक्विटी पर प्रतिफल प्रभाव को, संभवतः 40 प्रतिशत तक कम रह सकते हैं।

53. अब मैं आपको बैंकों की ऋण वितरण दरों पर संभावित प्रभाव की एक बानगी देना चाहूंगा। मान लीजिए कि किसी भारतीय बैंक का, इक्विटी पर प्रतिफल, 15 प्रतिशत है, और पूंजी के गैर इक्विटी तत्त्वों पर अदा किया गया ब्याज 10 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि इक्विटी से जोखिम भारित संपत्तियों का बैंक का अनुपात 6 प्रतिशत है। अब यदि बैंक को अतिरिक्त एक प्रतिशत इक्विटी बनाए रखने की जरूरत पड़ती है तो निधियों की “भारित-औसत लागत” केवल 5 आधार बिंदु बढ़ेगी। यदि अपेक्षित इक्विटी पूंजी 2 प्रतिशत हो जाती है तो पूंजी की लागत की पूरी वृद्धि, उधारकर्ताओं पर डालने के लिए, ऋण वितरण दर में 10 प्रतिशत आधार बिंदुओं की जरूरत होगी। गैर-इक्विटी पूंजी की लागत में भी कुछ वृद्धि होने की संभावना है परंतु इस सबसे ऋण वितरण की लागत काफी मात्रा में बढ़ने की संभावना नहीं है। साथ ही भारतीय बैंकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) अन्य

देशों में उनके काउंटरपार्ट्स की तुलना में बहुत अधिक हैं। इससे यह इंगित होता है कि कार्यक्षमता में सुधार लाने की जरूरत है और मध्यवर्तन की लागत को नीचे लाने का काफी स्कोप है। मैं चाहूँगा कि आप इस तथ्य की भी सराहना करें कि जहां कई बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि अपनी इक्विटी पूंजी वर्तमान स्तर से 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाएं वहीं कई भारतीय बैंकों से निश्चित रूप से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वे अपनी इक्विटी के स्तर को उस हद तक बढ़ाएं। अतः उनकी आरओई पर पड़ने वाला असर, इसे 4 प्रतिशतता बिंदुओं, जैसा कि अमरीकी और यूरोपियन बैंकों के मामले में हुआ है, से काफी कम रहने की आशा है।

बासेल III के प्रभावी कार्यान्वयन के लाभ

56. बासेल III का प्रभावी कार्यान्वयन विनियामकों, ग्राहकों तथा शेयरधारकों को यह प्रदर्शित करेगा कि बैंकिंग प्रणाली, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से अच्छी तरह उबर रही है और भावी आघातों से स्वयं को सुनम्य बना रही है। कारोबार में “बेहतर-प्रबंधन-अंतर्दृष्टि” लाकर, सुगम कार्यान्वयन, बैंक की प्रतियोगितात्मकता में भी योगदान देगा ताकि यह भावी अवसरों का लाभ ले सके। साथ ही बासेल III के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को भी कम करके, नहीं आँका जाना चाहिए। हर बैंक के लिए बासेल के कार्यान्वयन हेतु एक सर्वाधिक किफायती मॉडल तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए वर्तमान के आरामदायक पूंजी पर्याप्तता स्तर काफी सुखद स्थिति बनाते हैं तथापि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे ऋण की मांग भी बढ़ेगी, जिससे बैंकों को अपने तुलनपत्रों में विस्तार करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी पूंजी, खास कर इक्विटी पूंजी, बढ़ानी पड़ेगी।

57. जहां बासेल III का कार्यान्वयन निस्संदेह रूप से कुछ लागत लेगा परंतु ऐसा, यह निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं बन जाएगा। कि क्या बासेल III वित्तीय प्रणाली को मूल्यवर्द्धित करेगा? सही मानदंड यह होना चाहिए कि क्या बासेल III एक सुरक्षित वित्तीय प्रणाली देगा जिसमें सहनीय लागतों पर, बैंकिंग संकटों की संभाव्यता को कम किया जा सकेगा। मेरे विचार से बासेल III इस परीक्षा में पास है। लंबे फेज-इन के जरिए लागतों का असर न्यूनतम हो जाता है।

58. कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि क्या ऐसे देशों के लिए, बासेल III को कार्यान्वित किया जाना जरूरी है जिन्होंने न तो संकट में योगदान दिया न उनके पास दूषित परिसंपत्तियाँ हैं। मेरा उत्तर स्पष्ट में है। कारण यह है कि आज के वैश्विकृत विश्व में किसी भी स्थानीय

वित्तीय और आर्थिक प्रणाली के लिए यह कठिन है कि स्वयं को वैश्विक आर्थिक आघातों से पूर्णतः बचाए रखे। विश्व के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं का अप्रत्यक्ष असर विभिन्न चैनलों के जरिए, पूरे विश्व में फैल सकता है। इसके अतिरिक्त बासेल III के कई प्रावधान, बासेल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत जोखिम के मापन में आई कमजोरियों, जिनका कि संकट के दौरान पता चला था, का समाधान भी करते हैं। इस प्रकार बासेल III, विकासशील तथा विकसित देशों, दोनों की वित्तीय प्रणालियों को, मजबूत करेगा। इसे समझा जाना चाहिए, कि बासेल III का कार्यान्वयन, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में सुसंगत नहीं है तो आर्बिट्रिज अवसरों का लाभ उठाने के लिए तल में एक होड़ लग जाएगी, जो कोई नहीं जीत पाएगा।

59. मुझे लगता है कि भारतीय बैंकों को, इसके कार्यान्वयन के शुरु के वर्षों में, अधिकतर आय राशि को पास रखकर लागतें घटानी चाहिए और अपनी पूंजी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए चाहे अपनी धारिताएं तत्समय कम भी क्यों न करनी पड़ जाएं। इससे नवीन जारीकरणों पर आनेवाली लागत से बचा जा सकेगा। नकदी संबंधी अपेक्षाओं के संदर्भ में भी भारतीय बैंक काफी आरामदेह स्थिति में हैं, क्योंकि उनके पास एसएलआर निर्धारण पूरे करने के लिए, तरल सरकारी प्रतिभूतियों के विशाल भंडार मौजूद है। रिजर्व बैंक सोच रहा है कि इसमें से कितनी राशि को एलसीआर के रूप में गिनने की अनुमति दी जाए। यह भी आशा की गई है कि जैसे-जैसे बैंकों की पूंजी संरचना में इक्विटी का अनुपात बढ़ेगा वैसे-वैसे, यह आगे इक्विटी तथा साथ ही गैर-साझी इक्विटी पूंजी जुटाने की वृद्धिशील लागतों को कम करेगी।

60. कार्यान्वयन के बाद के वर्षों में, बैंकों को, विशेषतः अपात्र गैर-इक्विटी पूंजी को हटाने के लिए, नई पूंजी जारी करनी होगी। नई पूंजी के सफल जारीकरण के लिए और अधिक पारदर्शिता तथा और अधिक बाजार अनुशासन की जरूरत होगी।

61. भारतीय रिजर्व बैंक ने बासेल III के पूंजी और नकदी नियमों के बारे में प्रारूप दिशा-निर्देश क्रमशः 30 दिसंबर 2011 तथा 21 फरवरी 2012 को जारी किए। रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण यह है कि बासेल III पूंजी और नकदी दिशा निर्देशों, को अधिक संतुलित ढंग से तथसा तेज गति से अपनाया जाय। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इन नियमों का असर कोई बहुत भारी नहीं होगा और हमारे बैंकों को बासेल III अपनाने से काफी फायदा ही होगा। इस संबंध में आपके विचार जानने का मैं इच्छुक हूँ।

निष्कर्ष

62. अब मैं इसका सारांश बताऊंगा। मैंने उस परिप्रेक्ष्य से अपनी बात शुरू की जिसमें बासेल III स्थापित किया गया। वैश्विक वित्तीय, बल्कि आर्थिक संकट के कारण, और परिणाम बताएं। उसके बाद मैंने संकट पर की गई तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में बासेल II का स्तर उच्च करना अथवा ट्रेडिंग बुक के लिए बासेल II.5 पूंजी आवश्यकता की शुरुआत के संबंध में चर्चा की, जो कि संकट एवं पूंजी आर्बिट्रिज का प्रमुख केंद्र था। इसके पश्चात् मैं विस्तार से, बासेल III तथा इसके उद्देश्यों के संबंध में बासेल III के बृहद विवेकाधीन तथा सूक्ष्म विवेकाधीन तत्त्वों की चर्चा पर गया।

63. मैंने यह भी बताया कि कैसे पूंजी की परिभाषा, गुणवत्ता, मात्रा तथा निरंतरता और पारदर्शिता, और ऋण जोखिम, बासेल III के अंतर्गत, सूक्ष्म विवेकाधीन- विवेकाधीन विनियम, में सुधार लाएगी। मैंने यह भी रेखांकित किया कि नया लीवरेज तथा नकदी फ्रेमवर्क, न केवल व्यक्तिगत बैंकों की, जोखिम अवशोषण क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि अत्यंत दबाव के समय, वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने में सहायक होगा। बासेल III के अन्य बृहत् विवेकाधीन तत्त्वों, जैसे पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रिक पूंजी सुरक्षित भंडार तथा “इतना बड़ा कि फेल नहीं हो सकता” की समस्या पर भी चर्चा की।

64. मैंने बासेल III के बृहदार्थिक प्रभाव तथा विभिन्न अनुसंधनों का विश्लेषण भी किया जिनमें पाया गया है कि, हालांकि बासेल III के कार्यान्वयन में, कुछ प्रारंभिक लागत लग सकती है, परंतु इसके दीर्घवधि लाभ बहुत होंगे, क्योंकि इससे बैंकिंग संकटों की संभावना घट जाएगी। पूंजी नकदी तथा बैंकों विशेषकर भारतीय बैंकों, की लाभ प्रदता पर, बासेल III के प्रभावों पर भी चर्चा की गई।

65. इस अवसर का लाभ उठाकर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि बासेल III जी-20 द्वारा शुरू किए जा रहे वित्तीय क्षेत्र सुधारों के एजेंडे का सिर्फ अंशभर है। हालांकि तत्काल चुनौती बैंकों और क्षेत्रधिकारों में, बासेल II तथा बासेल III के निरंतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की है, फिर भी अन्य कई ऐसे आवश्यक मुद्दे हैं, जिन पर या तो कार्य हो चुका है या उन्होंने एफएसबी तथा बासेल कमेटी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जैसे कार्पोरेट गवर्निंग्स, वेतन प्रथाओं तथा समाधान तंत्रों को मजबूत करना, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक और घरेलू बैंकों हेतु विनियामक और पर्यवेक्षण ढांचे को ऊंचा उठाना ओटीसी व्युत्पन्न बाजारों में सुधार लाना, तथा शैडो बैंकिंग प्रणाली का विनियमन। बासेल III के अंतर्गत बृहद् विवेकाधीन ढांचे का अभी भी परीक्षण नहीं हुआ है और इसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अनुसंधान, मॉनीटरिंग तथा विनियामकों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान की जरूरत पड़ेगी।